RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED

[Corporate Identity Number (CIN):U40109RJ2000SGC016485]
Regd. Office: Vidyut Bhawan, Jyoti Nagar, Jaipur-302005.
Website:www.energy.rajasthan.gov.in./rvpnl

No.RVPNL/Karmik/4(D)1/D. 39 **Jaipur, Dated:-** 18/4/2020

दिशा–निर्देश

प्रायः यह देखने में आया है कि तकनीकी कामगार विद्युत लाईनों व उपकरणों पर कार्य करते समय कई प्रकार की असावधानियाँ बरतते है, जिस कारण अक्सर विद्युत दुर्घटनाएँ घटित होती रहती है। इस प्रकार की विद्युत दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु पूर्व में दिशा निर्देश जारी किये गये थे किन्तु उनकी पालना पूर्ण रूप से नहीं किये जाने के कारण दुर्घटनाएँ घटित हुई हैं। अतः विद्युत लाईनों व उपकरणों पर कार्य करने वाले कामगारों व पर्यवेक्षकों के मार्गदर्शनार्थ निम्न दिशा–निर्देश जारी किये जाते है:–

कामगारों हेतु दिशा–निर्देश :–

DO's (करें) :

1 विद्युत लाईनों व उपकरणों पर कार्य करते समय प्रत्येक कामगार अपने अधिकारियों द्वारा दिये हुये दिशा–निर्देशों का पूर्णतया पालन करेंगे। यदि कोई दिशा–निर्देश पूरी तरह समझ में नहीं आए है तो वे अपने अधिकारी से पुनः पूछकर स्पष्ट दिशा–निर्देश प्राप्त करेंगे।

2 कामगारों द्वारा लाईन पर कार्य शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि लाईन बन्द है। जिस सेक्शन पर कार्य करना है उसे दोनों तरफ से तीनो फेज अर्थिंग करने के बाद ही काम शुरू करें।

3 लाईन पर चढ़ते समय सुरक्षा उपकरणों (सेफ्टी बेल्ट आदि) को साथ में अवश्य रखें एवं उन्हें उपयोग में लेंवे।

4 हर कामगार लाईन पर काम करते समय अपने सर पर सख्त प्लास्टिक का टोपा (हेलमेट) जरूर पहनें।

5 लाईन पर कार्य करने से पूर्व लाईन के तीनो फेज अर्थ करना ना भूलें तथा यह जाँच कर लें कि लाईन के तीनो फेज सही प्रकार अर्थ हुई है।

6 जी.ओ. (इन्स्यूलेटर) काटने के पश्चात् यह जाँच कर लें कि इसकी सभी ब्लेड़े काटी जा चुकी है या नही?

7 हर वोल्टेज को खतरनाक समझना चाहिये।

8 रबड़ के दस्ताने पहनकर कार्य करें।

9 सामान खम्भे पर प्राप्त करने हेतु रस्सी का प्रयोग करें जिससे सामान नीचे से बांधने पर खींचकर आसानी से प्राप्त किया जा सकता हैं।

DON'T (नहीं करें)

1 कामगार काम करते वक्त हाथ में अंगूठी नहीं पहनें। बाल लम्बे रख रखें हो तो उनको कैप से ढकें और ढीले–ढाले कपड़े नहीं पहनें।

2 जल्दबाजी में कार्य न करें तथा अनावश्यक होशियारी न दिखावें।

3 कार्य करते समय हंसी–मजाक नहीं करें।

4 काम के समय अन्यत्र ध्यान नहीं रखें।

5 कार्य करते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करें एवं साथ में भी नही रखे।

पर्यवेक्षकों हेतु दिशा–निर्देशः–

पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित कर लें कि :–

1 इनके अधिनस्थ श्रमिको/कामगारों के पास आवश्यक सुरक्षा उपकरण हैं तथा वे उन्हें काम में लेना जानते है। यदि नहीं जानते हो तो उन्हें जरूरी ट्रेनिंग अवश्य दें।

2 पर्यवेक्षक यह भी देखेंगे कि उनके अधीनस्थ कामगारों द्वारा कार्य करते समय सभी आवश्यक सावधानियां बरती जा रही है तथा सुरक्षा उपकरण काम में लिये जा रहें हैं।

3 यदि किसी लाईन या उपकरण पर कार्य करना हो तो सम्बन्धित जी.एस.एस. से शट–डाउन लें और "परमिट टू वर्क" अवश्य प्राप्त करें।

4 कामगारो को लाईन पर कार्य हेतु लगाने का रिकार्ड (Permit to Work) मेन्टेन किया जावे।

5 कार्य पूरा होने पर लाईन को चार्ज करवाने से पहले किये हुये काम को सावधानी से चैक कर लें।

6 अधिशाषी अभियन्ता अपने क्षेत्र के सभी सम्बन्धित श्रमिकों/कामगारों के पास आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध हैं, सुनिश्चित करें तथा हर तिमाही यह जांच करें कि उपलब्ध सुरक्षा उपकरण कार्य के लायक है या नहीं। जो काम में लेने लायक नहीं है उनको तुरन्त बदला जाए।

7 अधिक्षण अभियंता अपने क्षेत्र वृत में आवश्यक सुरक्षा उपकरण की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रतिमाह बैठक करेंगे तथा उसका विवरण जारी करेंगे।

8 आवश्यक सुरक्षा उपकरण रखने का सुव्यवस्थित एवं निश्चित स्थान प्रत्येक श्रमिक/कामगार को उपलब्ध करया जाए जिससे वह दिए गए उपकरण वहां रख सकें।

9 वास्तविक सुरक्षा ट्रेनिंग फील्ड में दी जावे।

10 श्रमिक/कामगार किस पोजिशन में बैठकर या खड़ा होकर काम करें इसकी भी ट्रेनिंग दी जावे।

11 आवश्यक सुरक्षा उपकरणों की सूची बनाई जावे तथा जिस वोल्टेज लेवल का उपकरण खरीदा है उस लेवल पर काम करने लायक है या नहीं, इसकी भी हर तिमाही जाँच कर उसकी रिपोर्ट जारी करें।

12 सब–स्टेशन जहां से कामगार मेंन्टिनेंस या फॉल्ट निकालने के लिए जाता है वहां पर मोटे–मोटे अक्षरों में लिखा जावे कि "सुरक्षा उपकरण साथ लेकर ही कार्यपर जावें" दूसरा स्लोगन "कार्य पर रवाना हाने से पहले लाईन बन्द कर दी गई है या नहीं, सुनिश्चित करें।"

13 श्रमिको/कामगारों को कार्य के समय उपयोग हेतु सख्त प्लास्टिक का टोपा (हेलमेट) उपलब्ध कराया जावें।

विद्युत लाईनों व उपकरणों पर कार्यरत प्रत्येक श्रमिक/कामगार व पर्यवेक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उक्त दिशा–निर्देशों/सावधानियों का पूरी तरह पालन करें। यदि कोई श्रमिक/कामगार व पर्यवेक्षक उपरोक्त दिशा–निर्देशों की अवहेलना करता हुआ पाया गया तो उसके विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

(श्याम सिंह शेखावत)
सचिव (प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्न को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 श्रीमान मुख्य/अति. मुख्य अभियंता(____), रा.वि.प्र.नि., जयपुर / अजमेर / जोधपुर।
2 श्रीमान अधिक्षण अभियंता (____________), रा.वि.प्र.नि.,__________.
3 श्रीमान उप निदेशक कार्मिक (_____) रा.वि.प्र.नि., जयपुर/अजमेर/जोधपुर ।
4 श्रीमान अधिशासी अभियंता (____________), रा.वि.प्र.नि.,_________.
5 श्रीमान कार्मिक अधिकारी (T&C/Civil) रा.वि.प्र.नि., ______________.
6 श्रीमान सहायक अभियंता (____________), रा.वि.प्र.नि.,__________.
7 अति निजि सचिव/निजि सहायक– अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय/निदेशक (तकनीकी/संचालन), रा.वि.प्र.नि., जयपुर.
8 कार्यालय आदेश फाईल।

18/4/20

(अमिताभ गुप्ता)
मुख्य कार्मिक अधिकारी